आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No. 01 of 2024

Dist.:- Patna

PRESENT :- Sri Chaitanya Prasad, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Sri Sunil Kumar Sah - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Appellant : x
For the Respondent : Sri Shambhu choudhary, Under Secretary, GAD

आदेश

24.06.2024

यह सेवा अपील श्री सुनील कुमार साह, तत्कालीन सहायक, आयुक्त कार्यालय पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के दण्डादेश संख्या– 13983 दिनांक 10.08.2022 द्वारा अधिरोपित निन्दन (आरोप वर्ष 2021–2022) एवं एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध वेतन वृद्धि संबंधी दण्ड के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत दण्डादेश के एक वर्ष के पश्चात् यह अपील इस न्यायालय में दायर किया गया है, जबकि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 25 के तहत अपीलार्थी को दण्डादेश निर्गत की तिथि के 45 दिनों के अन्दर अपील करने का प्रावधान है। श्री साह द्वारा एक वर्ष के विलम्ब के लिए इस न्यायालय में न तो कोई condonation petition दायर किया गया है और न हीं इस न्यायालय में अपीलवाद विलम्ब से दायर करने का कोई ठोस कारण बताया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इस अपील आवेदन को कालबाधित होने के कारण खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

वाद की सुनवाई के उपरांत यह पाया गया कि अपीलार्थी विगत सभी सुनवाई की तिथियों में अनुपस्थित रहें है जबकि इस न्यायालय से प्रेषित नोटिस में अपीलार्थी को भाग लेने हेतु बार–बार स्मारित किया गया।

सभी तथ्यों के अवलोकन के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ की अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलवाद एक वर्ष से अधिक अवधि के उपरांत इस न्यायालय में दायर किया गया है, जबकि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 25 में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत कोई भी सेवा अपील 45 दिनों के अवधि में दायर किया जाना है। जबकि अपीलार्थी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत दण्डादेश दिनांक– 10.08.2022 के एक वर्ष से अधिक अवधि के उपरांत दायर किया गया है।

अपील आवेदन कालबाधित होने के कारण Admission के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

24/6/2024 — 24/6/2024

(चैतन्य प्रसाद)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।

(चैतन्य प्रसाद)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।